निर्णय

ग्राम शोकलिया की जमाबंदी सम्वत 2061-2064 के खाता सं. नया-पुराना 293-239 किता 10 रकबा 22 बिघा 8 बिस्वा रामदेव वल्द घिसा के नाम दर्ज है तथा इसी में से खसरा नं. 718 रकबा 3 बिघा 1 बिस्वा क्रैती अर्चना कोठारी पत्नी भागचन्द कोठारी के नाम दर्ज है। इसके स्थान पर वादियागण रामदेव पुत्र घीसा गुर्जर के साथ-साथ संयुक्त रूप से खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है तथा खसरा न. 718 रकबा 3 बिघा 1 बिस्वा बारानी 1 मे वादियागण का प्रत्येक का 1/5 तथा क्रैती अर्चना कोठारी पत्नी भागचन्द कोठारी को 1/5 हिस्से का संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वादि वादियागण के हक हिस्से तक बाधा उत्पन्न, कब्जे काश्त में नही करे तथा न ही इनके हिस्से की आराजी का बेचान करे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय मजमे आम कैम्प शोकलिया में सुनाया गया।

सदस्य
लोक अदालत
सरवाड़

सदस्य
लोक अदालत
सरवाड़

अध्यक्ष
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)